उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
संख्या-47/2015/682/78-2-2015-37आई.टी./2015
लखनऊः दिनांकः 29 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के समस्त लेखपालों, ग्राम विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत टैबलेट/लैपटॉप उपलब्ध कराये जाने हेतु गाइड लाइन्स का निर्धारण आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा किया जाना है। तदक्रम में टैबलेट/लैपटॉप की विशिष्टियों/स्पेसिफिकेशन के निर्धारण हेतु प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एल0सी0 की अध्यक्षता में विशेषज्ञ संस्थाओं के सदस्यों की एतदद्वारा एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है:-

1.	प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0	अध्यक्ष
2.	आईआईटी, कानपुर के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	आईआईएम, लखनऊ के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	एनआईसी, उत्तर प्रदेश एकक, लखनऊ के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	यूपीडेस्को, लखनऊ के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	उप महाप्रबन्धक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0	सदस्य
7.	राज्य ई-मिशन टीम (एसईएमटी) के प्रतिनिधि	सदस्य

2. तकनीकी विशेषज्ञ समिति में उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, राजस्व, प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग तथा प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव से निम्न स्तर का न हो, उक्त समिति के सदस्य होंगे। राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स उक्त समिति का समन्वयन करेंगे तथा आयुक्त एवं सचिव, मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश उक्त समिति में विशेष आमंत्री होंगे।

3. उक्त समिति विचार-विमर्श कर टैबलेट/लैपटॉप हेतु सर्वथा उपयुक्त विशिष्टियों की संस्तुति करेगी एवं तकनीकी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सक्षम स्तर से निर्णय लेकर यथाआवश्यक कार्यवाही की जायेगी। समिति द्वारा विभागीय कार्यो की प्रकृति एवं उसकी आवश्यकता के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त, सम्बन्धित अधिकारियों को टैबलेट अथवा लैपटॉप उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में गाइड लाइन्स का निर्धारण कर दिनांक 08.06.2015 तक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायेगी।

(जी0 एस0 प्रियदर्शी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 47/2015/682(1)/78-2-2015, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व/ पंचायती राज/ ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को समिति में सदस्य के रूप में विशेष आमंत्री नामित किये जाने के संबंध में।
3. निदेशक, आईआईटी, कानपुर को प्रतिनिधि नामित किए जाने के संबंध में।
4. निदेशक, आईआईएम, लखनऊ को प्रतिनिधि नामित किए जाने के संबंध में।
5. उप महानिदेशक, एनआईसी, उत्तर प्रदेश एकक, लखनऊ को प्रतिनिधि नामित किये जाने के संबंध में।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डेस्को, लखनऊ को प्रतिनिधि नामित किए जाने के संबंध में।
7. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स।
8. हेड, स्टेट ई-मिशन टीम (एसईएमटी) को प्रतिनिधि नामित किए जाने के संबंध में ।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव(पी/एन), आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग।
11. संयुक्त सचिव/अनु सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।